भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3474
13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मातृ मृत्यु दर

3474. श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री जगदम्बिका पालः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री चिंतामणि महाराजः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री आलोक शर्माः
श्री नलिन सोरेनः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री रवींद्र शुक्ला पात्र रवि किशनः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री नव चरण माझीः
श्री विजय कुमार दूबेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले और झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) सरकार द्वारा देश के विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में मातृ मृत्यु को कम करने के लिए क्या प्रमुख पहलें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने मातृ मृत्यु में कमी लाने के संबंध में प्रमुख चुनौतियों को चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) मातृ मृत्यु को कम करने में संस्थागत प्रसव और प्रसव पूर्व देखभाल की क्या भूमिका है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितने संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वैश्विक मातृ स्वास्थ्य लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत के महापंजीयक द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 2021-23 के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, देश की मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 88 है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार मातृ मृत्यु दर का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख), (ग) और (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, ताकि मातृ स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त किया जा सके। ये पहलें निम्नवत् हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद अंतरण योजना है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीज़ेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल निःशुल्क प्रसव की सुविधा मिलती है। इस सुविधा में निःशुल्क दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं, अस्पताल में रहने के दौरान मुफ्त भोजन, मुफ्त निदान, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त आधान शामिल हैं। एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

 विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सुनिश्चित करती है और सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत एचआरपी की निगरानी करती है। इसके लिए पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आने वाली आशाकर्मियों को पीएमएसएमए दौरे के अतिरिक्त 3 अतिरिक्त दौरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **लक्ष्य** कार्यक्रम प्रसव कक्षों और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करता है, ताकि गर्भवती महिलाओं को प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिल सके।

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का उद्देश्य जन स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क और सेवा प्रदायगी से इनकार के प्रति शून्य सहनशीलता सहित सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।
- **बेहतर प्रसवोत्तर परिचर्या** कार्यक्रम का लक्ष्य माताओं में खतरे के संकेतों की पहचान पर जोर देकर और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मियों (आशा) को ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार कराने के लिए प्रोत्साहित करके, प्रसवोत्तर देखभाल की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है जो एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के साथ मिलकर मातृ एवं शिशु परिचर्या सेवा सुनिश्चित करता है।
- **आउटरीच कैंप्स** स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक लामबंदी के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- **मातृ एवं शिशु संरक्षण (एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए वितरित की जाती है।
- **अवसंरचना को सुदृढ़ करना**, जिसमें **प्रथम रेफरल इकाइयों** (एफआरयू) का संचालन, **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग** की स्थापना, **प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन परिचर्या इकाइयों (ऑब्स्टेट्रिक एचडीयू और आईसीयू)** का संचालन, दुर्गम भू-भाग, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में **प्रसव प्रतीक्षा गृहों** (बीडब्ल्यूएच) की स्थापना शामिल है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हो सके और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल सके।

(घ): संस्थागत प्रसव और प्रसवपूर्व परिचर्या देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुशल प्रसव सहायकों (एसबीए) की सहायता से स्वास्थ्य संस्थाओं में कराए गए प्रसव गर्भावस्था, शिशु जन्म या प्रसवोत्तर अवधि के दौरान कभी भी उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के प्रबंधन में सहायक होते हैं।

प्रसवपूर्व देखभाल में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान और स्क्रीनिंग, आयरन और फोलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी3 जैसे आवश्यक पूरक आहार की व्यवस्था और प्रसव की तैयारी और जटिलताओं से निपटने के लिए परामर्श सुनिश्चित की जाती है, जिससे समय पर रेफरल और जटिलताओं का प्रबंधन संभव हो पाता है। पिछले तीन वर्षों में कराए गए संस्थागत प्रसवों की संख्या परिशिष्ट II में दी गई है।

दिनांक 13.03.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3474 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) के अनुसार पिछले पांच वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)				
क्रम सं.	**भारत/राज्य**	**एसआरएस 2019-21**	**एसआरएस 2020-22**	**एसआरएस 2021-23**
	भारत	**93**	**88**	**88**
1	आंध्र प्रदेश	46	47	30
2	असम	167	125	110
3	बिहार	100	91	104
4	झारखंड	51	50	54
5	गुजरात	53	55	51
6	हरियाणा	106	89	89
7	कर्नाटक	63	58	68
8	केरल	20	18	30
9	मध्य प्रदेश	175	159	142
10	छत्तीसगढ	132	141	146
11	महाराष्ट्र	38	36	36
12	ओडिशा	135	136	153
13	पंजाब	98	92	90
14	राजस्थान	102	87	86
15	तमिलनाडु	49	38	35
16	तेलंगाना	45	50	59
17	उत्तर प्रदेश	151	141	141
18	उत्तराखंड	100	104	91
19	पश्चिम बंगाल	109	105	104
20	अन्य राज्य	71	81	86

स्रोत - नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस), आरजीआई रिपोर्ट

दिनांक 13.03.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3474 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में कराए गए संस्थागत प्रसवों की संख्या				
क्र. सं.	**संस्थागत प्रसव**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	भारत	20165533	19799153	19355420

स्रोत: एचएमआईएस